MR. SPEAKER: I do not know. It is because some of the Members are retiring, we have postponed it by one month and the Rajya Sabha can take a decision. How can I answer for the Rajya Sabha? We are informing them and they will take a decision as they deem fit.

12.35 hrs.

RE. ARREST OF MEMBERS-Contd.

SHRI S. KUNDU (Balasore): I raise on a point of order under rule 229. With all respect to you, Sir, it is not a question of my being arrested and released. In this morning's parliamentary papers, I read that the information was sent to this office that I was arrested at 11.30 A.M.

Mr. Samar Guha made a mention here about my arrest at about 2.30. Sir, I am referring to Rule 229. point is that this Rule says that whenever a Member is arrested, immediately it should be intimated to the House. Sir, I was arrested at 11.30 in the morning as corroborated by papers as also by your parliamentary papers and it will take only ten minutes for the Police to send the intimation to vou. But, till 3 O'clock the Lok Sabha was not informed. I would request you, Sir, to kindly find out where the lapse has occurred. Sir, it is not a question of my privilege, it is the privilege of the hon. House.

MR. SPEAKER: I have heard you. You said that there was a time lagthat you were arrested at 11.30 and the information came at about Mr. Samar Guha raised the point. It was before me but I thought that when somebody was making speech, I need not interrupt and that I might announce it after the speech was over. I, therefore, kept quiet. There-Whether fore it is a matter of merits. the Magistrate sent the intimation immediately or there was some delay-I will verify those things. After all, the point is: they were arrested, the Police authorities have to go to their office, get the intimation typed and then send it. They did not do it three days later, they intimated about the arrest the same day. So, what is the point of order ?

12.37 hrs.

JAMMU AND KASHMIR REPRE-SENTATION OF THE PEOPLE (SUPPLEMENTARY) BILL.—Contd.

MR. SPEAKER: Now before we go to the further discussion on the Railway Budget, I find some hon. Members want to speak about the recent railway accident. I would therefore say, let us extend it by a few minutes. Mr. Mohd. Imam wanted to make some suggestion not now the hon. Member will be called at that time—and he will be given two or three minutes. But there will be no speeches. So we will extend it by a few minutes more.

Before we extend it and take it up. I would like to say that already we have taken 2 hours 5 minutes against the one hour allotted by the Business Advisory Committee for this Jammu & Kashmir Representation of People (Supplementary) Bill.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सरकार की गलती के कारण हुआ।

MR. SPEAKER: Therefore, the question now is to finish it quickly. Bakshi Gulam Mohammad may resume his speech.

श्री गुलाम मुहस्मव बख्शी (श्रीनगर) :
अध्यक्ष महोदय, कल मैं अर्ज कर रहा था और
आनरेबल मिनिस्टर की तवज्जह भी दिलाई
थी कि जब एलेक्शन कमीशन का जुरिस्डिक्शन
काश्मीर में लागू है तो उस सूरत में यह बेहतर
होगा कि तमाम ऐनोमोलीज और लैंकुने जो
उस में रह गये हैं, उन को दूर करने के लिये
पीपस्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट इन इट्स एन्टायरिटी
स्टेट पर लागू कर दिया जाये । क्योंकि यह
एक अजीव सी बात हो जाती है कि एक तरफ
तो एलेक्शन कमीशन फंकशन कर रहा है,
लेकिन दूसरी तरफ एनेक्शन कमीशन उस
अन्दाज से फंकशन नहीं कर सकता जिस
तरह से पूरे मुल्क में कर रहा है।

## [श्री गुलाम मुहम्मद बख्ली] 12.41 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair] इस लिये में समझता हूं कि यह बेहद जरूरी है कि मेरे इस सजेशन को गोशगुजार किया जाये और कोशिश की जाये कि पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट बहां पर लागृ हो जाये। अगर आप को इस के लिये स्टेट की कंसेंट चाहिये तो आप वह भी ले सकते हैं। जब स्टेट ने एलेक्शन कमीशन का जूरिस्डिक्शन लागू सहिलयत दी है तो उस करने की को पीपत्स रिप्रेजेन्टेशन ऐवट लागु करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये त कि बी कम क्लोजर टुदि सैन्टर **ऐंड ट दि रेस्ट आफ इंडिया**। जो कवानीन भी आज लागू हैं वह इस स्टेट में भी लागू किये जायें जिस तरह से तमाम मुल्क में लागू हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो आप पीसमील मेजर ला रहे हैं, इस को पास कर दें, लेकिन इस से मसला हल होने वाला नहीं है, इस से और कामप्लिकेशन्स पैदा हो जायेंगी, जैसे कि श्री लिमये ने कल चन्द वातें आप के मामने रक्खीं।

दसरी बात की तरफ कल यहां आनरेबल मेम्बर ने इशारा किया । शायद वह काश्मीर की हालात से बहत ज्यादा वाकिफ नहीं है, वाकिफ तो हर एक है, लेकिन बहुत ज्यादा वाकफियत उन्हें नहीं है। जहां तक फौज का ताल्लक है, उन्होंने आर्मी पर्सोनेल का नाम लिया, चारों एलेक्शन्स में, यानी 1952 में, 1957 में. 1962 में और 1967 में. उस का कतअन कोई दखल नहीं रहा है। एलेक्शन्स के मौके पर आर्मी अपना अपना काम करती रही मुल्क के बार्डर्स पर । सिक्योरिटी आफ दि स्टेट के सिलसिले में मैं यह चीज साफ कर देना चाहता हं क्योंकि इस से गलतफहमी पैदा होने का कुछ एहतमाल है। हम ने कहा है कि वहां हमारी फौज नहीं बढ़ेगी। जितनी जरूरत है कार दी सिक्योरिटी आफ वि बार्डर्स, उतनी होगी । उन्होंने आर्मी पर्सोनल जब कहा तब शायद उन का खयान पुलिस की

तरफ था । उस के लिये मैं जितना कम कहं उतना बेहनर है ।

अपनी बात खत्म करने से पहले मैं आप से फिर गुजारिण करना चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब जो पीसमील लेजिस्सोशन लाये हैं, मेरे खयाल में ऐवान के दोनों तरफ के किसी भी शख्स को उम पर जरा भी ऐतराज नहीं होगा कि जब एलेक्शन कमीशन का जूरि-स्डिक्शन है तो पीपल्स रिप्रेजैन्टेशन ऐक्ट इस स्टेट में भी लागू कर दिया जाये।

[شری غلام محمد بخشی (سری نگر) : ادهیکش مهودئے ۔ کل میں عرض کر رہا تھا اور آنریبل منسٹرکی توجه بهی دلائی تهی که جب ایلیکشن کمیشن کا جوریز اکشن كاشمير ميں لاكو ہے تو اس صورت میں یه بہتر ہوگا که اور تمام اینومولیز اور لیکونے جو اس سیں رہ گئر ھیں۔ ان کو دور کرنے کے لئے پیپلس ریپویزینٹیشن ایکٹ ان اٹس اینٹائریٹی اسٹیٹ پر لاگو کر دیا جائر ۔ کیونکه یه ایک عجیب سی بات ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو ایلیکشن کمیشن فن**ک**شن کر رہا ھے۔ لیکن دوسری طرف ایلیکشن کمیشن اس انداز سے فنگشن نہیں کر سکتا جس طرح سے پو نے ملک میں کر رہا ہے۔

## 12.41 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair].

اس لئے میں سمجھتا ھوں کہ یہ

بے حد ضروری ہے کہ میرے اس

سجیشن کو گوش گزار کیا جائے

اور کوشش کی جائے کہ پیپلس

رها هے۔ ایلیکشنس کے موقع پر آرمی اپنا اپنا کام کرتی رهی ملک کے بارڈرس پر ۔ سیکیوریٹی آف دی اسٹیٹ کے سلسلہ میں میں یہ چیز صاف کر دبنا چاھتا ھوں کیونکہ اس سے غلط فہمی پیدا ھونے کا کچھ احتمال هے ۔ هم نے کہا هے که وهاں هماری فوج نہیں بڑھے گی ۔ جتنی ضرورت هے فار دی سیکیوریٹی جتنی ضرورت هے فار دی سیکیوریٹی نے آرمی پر سونیل جب کہا تب نے آرمی پر سونیل جب کہا تب ان کا خیال شائد پولیس کی طرف تھا ۔ اس کے لئے میں جتنا کم کہوں اتنا اس کے لئے میں جتنا کم کہوں اتنا بہتر هے ۔

اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے پھر گذارش کرنا چاھونگا کہ مسٹر صاحب جو پیسمیل لیجسلیشن لائے ھیں ۔ میرے خیال میں ایوان کے دونوں طرف کے کسی بھی شخص کو اس پر ذرا بھی اعتراض نہیں ھوگا کہ جب ایلیکشن کمیشن کا جوریزڈ کشن ہے تو پیپلس ربریزینٹیشن ایکٹ اس اسٹیٹ میں بھی لاگو کر دیا جائر۔

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI (Howrah): When the Bill was moved by the Law Minister first, the hon. Member Shri Madhu Limaye raised certain objections and to remove those objections the amendments have been proposed by the Minister and even then the hon. Member has again come with certain objections that Art. 327 has not been observed in the Parliament's proclamation. Article 327 has no bearing on the subject. Really Article 138 has its bearing on the Act. I would remind'

ربپریزینئیشن ایکٹ وہاں پر لاگو ہو جائے ۔ اگر آپ کو اس کے لئے اسٹیٹ چاہئے تو آپ وہ بھی نے سکتے ہیں ۔ جب اسٹیٹ نے انجیکشن کمیشن کا جوریزڈ کشن اس کو پیپلس ریپریزینٹیشن ایکٹ لاگو کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہئے ۔ تاکہ وی کم کلوزر ٹو دی بیشٹر آینڈ ٹو دی ریسٹ آف انڈیا ۔ بیشٹر میں بھی لاگو کئے جائیں جس طرح سے تمام ملک میں لاگو

دوسری بات میں یه کہنا چاھتا هوں که یه جو آپ پیسمیل میرز لا رهے هیں ۔ اس کو پاس کر دیں ۔ لیکن اس سے مسئله حل هونے والا نہیں هے ۔ اس سے اور کامپلیکیشنس پیدا هو جائیں گی ۔ جیسا که شری لیمئے نے کل چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں ۔

دوسری بات کی طرف کل یہاں ایک آنریبل سمبر نے اشارہ کیا ۔ شائد وہ کاشمیر کی حالات سے بہت زیادہ واقف تو هر ایک هے ۔ لیکن بہت زیادہ واقفیت انہیں نہیں هے ۔ جہاں تک فوج کا تعلق هے ۔ انہوں نے آرمی کا نام لیا ۔ چار ایلیکشنس میں ۔ یعنی ۱۹۹۲ لیا ۔ جار ایلیکشنس میں ۔ یعنی ۱۹۹۲ میں ۔ ۱۹۹۲ اور ۱۹۹۲ میں ۔ اس کا قطعاً کوئی دخل نہیں میں ۔ اس کا قطعاً کوئی دخل نہیں

[Shri Krishna Kumar Chatterji]. my hon. friend Shri Madhu that he made certain insinuating allegations against the Government. said that in moving this amendment the idea is that certain legal objections should remain and the Supreme Court will find those objections valid so that the appeals will really be infructuous. I wish to remind hon. Members on the opposite side that parliamentary democracy is in great danger in this country. We are facing a great peril and all of us must try hard to see that parliamentary democracy survives against the onslaught from various quarters due to defections from all parties in different State legislatures.

Jammu and Kashmir area is a very sensitive one. What is the fault of the Chief Minister, Mr. Sadiq, who has been trying to bring about complete integration of Jammu and Kashmir to India. The elections there were run on the basis of the Jammu and Kashmir Representation of the People Act. Any lacuna there or anything in any election petition will be coming before the Supreme Court and that supreme body will remedy any wrong that might have been done there.

So far as Shri Limaye's contention that long delays will be there is concerned, I feel that Supreme Court is the real place where it is expected that such delays will not occur and the Jammu and Kashmir legislature will be functioning through proper legislative elections.

With these few words, Sir, I remind the House that it is essential that Members of both the Opposition and the Ruling Party should all struggle hard so that parliamentary democracy is not endangered in Jammu and Kashmir State where there is already so much trouble and danger about the independence of India. I, therefore, request all Opposition Members to withdraw their objections so that unanimously we can pass this amending Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are more objections.

12.48 hrs.

MARCH 20, 1968

भी मन्दुल गनी डार (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये सरकार की ओर हाउस की तवज्जह मबजुल कराना चाहता हूं कि काश्मीर का मसला एक बिल्कूल अलग हैसियत रखता है। जब राजा साहब आ गये थे तब शेख साहब ने, बक्शी साहब ने और दूसरे लोगों ने राजा साहब को मजबूर किया कि वह हिन्द्स्तान के साथ समझौता करें और यह याद रहे कि उस वक्त काण्मीर के साथ एक अलग सलूक करने का फैसला किया गया था । इसलिये किया गया था कि चूकि जूनागढ़ और मंगरोल के नवाब पाकिस्तान चले गये थे और कहा था कि उन को हक हासिल है वहां जाने का । लेकिन सरदार पटेल ने अपने आहिनी पंजों से उस को दबाया, क्योंकि वहां की जनता इस बात को नहीं चाहती थी। इस वक्त क्याहम इस बात को भन जायेंगे।

जैमा बख्शी साहब ने कहा कि यहां भी लागू करो और वहां भी लागू करो । लेकिन इस के बारे में मुझे डर है क्योंकि रिफरेन्डम की वात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चलाई थी, मैंने नहीं चलाई थी। अगर यह सवाल वहां पैदा हो और आप बजाय उन का दिल जीतने के उन को डंडे के जोर से दवाना चाहें और इस तरह से बोगस एनेक्शन्स करा कर अपनी हुकूमत चलाना चाहें तो मैं नहीं समझता कि इस तरह आप देश की कोई सेवा करेंगे। अगर हम जीत सकते हैं तो उन के दिल जीत सकते हैं, और दिल जीतने हैं तो फिर आप को अच्छी तरह से एनेक्शन कराने चाहियें।

बस्शी साहब कहते हैं कि वहां फौज का कोई असर नहीं हैं। फौज का असर इस लिये हैं कि जहां जहां फौज है वहां पर लोग आजादी के साथ अपना पैगाम पहुंचा सकें, यह नामु-मिकन हैं। जो कुछ गोपालन साहव ने कहा, उस का मंशा यह था कि इस तरह से जो फेअर और फी एलेक्शन्स हम चाहते हैं वह नहीं होंगे।

हाउस से और सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि काश्मीर के मसले को सही तरीके से सुलझाने की कोशिश की जाय ताकि वहां पर जो आग लगी है वह ठंड़ी हो और काम-मीर के भवाम दिलो जान से भ्रापके साथ रहें और आप के साथ मिल कर पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें। मैं समझता हूं कि जोशा में आकर या गुस्से में आ कर हमें काम नहीं करना चाहिये अगर हम खयाली दूनिया में रहें तो यह मुनासिब नहीं होगा। कहीं ऐसा न हो कि मंगरोल और जुनागढ़ की तरह से वहां के लोगों के जजबात हमारे खिलाफ हो जाएं और हमें बाद में दिक्कत हो।

[شری عبدالغنی ڈار (گوڑگاؤں): اپادھیکش سہودے۔ میں آپ کے ذریعہ سرکار کی اور هاؤس کی توجه مبذول كرانا چاهتا هوں كه كاشمير كا مسئله ایک بالکل الگ حیثیت رکھتا ہے۔ جب راجه صاحب آگئر تهر تب شیخ صاحب نے۔ بخشی صاحب نے اور دوسرے لوگوں نر راجه صاحب کو مجبور کیا که وه هندوستان کے ساته سمجهوته كرين اور يه ياد رهے که اس وقت کشمیر کے ساتھ ایک الگ سلوک کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس لئے کیا گیا تھا کہ کیونکہ جونا گڑھ اور بنگرول کے نواب پاکستان چلے گئے تھے اور کہا تھا کہ ان کو حق حاصل ہے وہاں جانے کا۔ لیکن سردار پٹیل نر اپنر آهین پنجوں سے اس کو دہایا ۔ کیونکہ وھاں کی جنتا اس بات کو نہیں چاہتی تھی ـ اس وقت کیا هم اس بات کو بهول جائیں گے ۔ جیسا بخشی صاحب نے کہا کہ یهان بهی لاگو کرو اور وهان بهی لاگو کرو ۔ لیکن اس کے بارے میں مجھر ڈر ہے کیونکہ ریفرینڈم کی بات پنات جواهر الال نهرو نے چلائی تھی ۔ میں نے نہیں چلائی تھی۔ اگر یہ شوال وهاں پیدا هو اور آپ بجائے ان کا دل جیتنے کے ان کو ڈنڈے کے فور سے دبانا چاھیں اور اس طرح سے **بوگس** ایلیکشن کرا کر اپنی حکومت چلافا چاهیں تو میں نہیں سمجهتا که اس طرح آپ دیش کی کوئی سیوا کریں گر۔ اگر ہم جیت سکتر ہیں تو ان کے دل جیت سکتر ھیں۔ اور دل جيتنر هين تو پهر آپ کو اچھی طرح سے ایلیکشن کرانے چاھئیں ۔

بخشی صاحب کہتر ہیں کہ وهاں فوج کا کوئی اثر نہیں ہے ۔ فوج کا اثر اس لئے ہے کہ جہاں جہاں فوج ہے وہاں پر لو ک آزادی کے ساته اپنا پيغام پهنچا سکين ـ يه ناسمكن هے ـ جو كجھ گوپالن صاحب نے کہا ۔ اس کا منشا یہ تھا کہ اس طرح سے جو فیئر اور فری ایلیکشن هم چاهتے هيں وہ نہيں هونگے۔

ھ**اؤس** سے اور سرکار سے میری ریکویسٹ ہے کہ کاشمیر کے مسئلر کو صحیح طریقہ سے سلجھانر کی **کوشش کی جائر تاکه وهاں** پر چو آگ لکی ہے وہ ٹھنڈی ھو

[شری عبدالغنی ڈار]

اور کاشمیر کے عوام دل و جان سے آپ کے ساتھ رھیں اور آپ کے ساته مل كر پاكستان كا مقابله کر سکیں ۔

میں سمجھتا ہوں کہ جوش میں آکر یا غصے میں آ کر همیں کام نہیں کرنا جاھئر۔ اگر ھم خیالی دنیا میں رفح تو یه مناسب نہیں هوگا ـ کهیں ایسا نه هو که منگرول اور جونا گڑھ کی طرح سے وہاں کے لوگوں کے جزبات ہمارے خلاف هو جائيں اور هميں بعد ميں دقت

डा॰ सुशीला नायर (झांसी) : मुझे लगता हैं कि मेरे भाई अभी जो फरमा रहे थे वह कुछ गलतफहमी में आ कर कह रहे थे। जहां तक इलैंकशंज का सवाल है सभी चाहते हैं कि की एण्ड फेयर इलैंबशंज काश्मीर में हों और इसी लिए सप्रीम कोर्ट की जरिसडिक्शन को वहां एक्सटेंड करने की बात हुई है और इलैक्शन की भी बात हुई है। वरूशी साहब कह रहेथे कि साराका सारा जो इलैक्शन के बारे में हमारा कानून है उसको वहां पर भी लागु कर दिया जाए। मैं समझती हुं क इस में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिये, किसी को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिये, न काश्मीर वालों को और न ही यहां वालों को।

दूसरे सवालों को इस के साथ जोड़ना कुछ बेमानी सा लगता है। इस वक्त हर एक की ख्वाहिश है कि काश्मीर में भी फी एंड फेयर इलैक्शन हों और इसी महें से यह जो कानून है यहां आया है। साथ ही जो तजवीज बढशी साहब की तरफ से पेश की गई है वह

भी आपके सामने है। मैं तो इतना ही अर्ज करना चाहती हं कि हिन्दुस्तान का सारा जो इलैक्शन का सिलसिला है और जिस तरह से यहां इलैक्शन होते हैं उसने दुनिया भर में इज्जत पाई है और दनिया भर यह कहती है कि हिन्दुस्तान में फी एण्ड फेयर इलैक्शन होते हैं। उसी तरह से काश्मीर में भी हो जायें इसमें किसी को क्या उज्र हो सकता है, यह समझने में न आये ऐसी बात है।

1846

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have no quarrel with the purpose of the Bill, because it is necessary to have such a provision. The provision in the Jammu and Kashmir Act is without jurisdiction and, therefore, the Parliament has to come with a legislation to provide for that. But what I was objecting to was the process. Anyway, if the Government wants to take the risk and take this stigma that was hurled by the hon. Member, Shri Limaye, that really shows that the Government wants that the Act should be declared ultra vires. If they want to take that risk, let them take it; I have no objection.

श्री ग्रं० सिं० सहगल (बिलासपुर) : आपके सामने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जरिसडिक्शन जहां तक इलेक्शंज का सम्बन्ध है, काश्मीर तक एक्स्टेंड करने का बिल आया है। भारत में चार इलैंक्शन हो चुके हैं और मैं जिस प्रकार से इलैक्शन कर्माशन ने और उसके अधीन काम करने वालों ने कार्य किया है, उसके लिए उनको बवाई देता हं। उन्होंने इस अच्छे काम को करने और इस खबीसे इसको करके न केवल भारत-वर्षमें बल्कि दुनिया में भी नाम पाया है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहां पर इलैक्शन वहत ही फेयर और साफ होते हैं। काश्मीर जो कि हमारा एक पार्ट है और जिस की आज एहम मान्यता भी देते हैं, उसी बारे में कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और मैं उस सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता हं। लेकिन मैं इस सम्बन्ध में इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि पीसमील तरीके से कानून को काश्मीर पर लागू करने के पक्ष में मैं नहीं हूं, पूरा का पूरा जो कानून है उसको हमें काश्मीर पर भी लागू कर देना चाहिये । पूरा कानून जो हिन्दुस्तान में लागू है वह काश्मीर में भी लागू होना चाहिये ताकि वहां के लोगों को पूरी फीडम मिले और फीडम के साथ वहां के लोग काम करें और उनको पूर्ण विश्वास हो कि हमारे यहां पर बाकी देश के साथ फी और फेयर इलैंक्शन होते हैं।

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली) : जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, मुल विधेयक में सुधार करके तो सरकार ने अच्छा काम किया है और इसके द्वारा सरकार रिप्रिजेंटेशन आफ पीपल एक्ट की धारा 106(ए) (बी) और (सी) को जम्मू काश्मीर पर भी लागु करने जा रही है लेकिन मैं समझता हूं कि इतने मात्र से काम नहीं चल सकता है। यदि जम्मू काश्मीर के कानून को भारत के कानुन के स्तर पर लाना है तो यह अत्यावश्यक है कि रिप्रिजेंटेशन आफ पीपल एक्ट को भी जम्म काश्मीर में पूरे तौर पर लागु किया जाए । सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस तरह से हमारे देश का कानुन है उसी तरह से काश्मीर का भी होना चाहिए और ये दोनों कानन एक जैसे होने चाहियें।

जो कानून काश्मीर पर लागू है वह बहुत डिफैंक्टिब है, दोषपूर्ण है और वह मुप्रीम कोर्ट के सामने टिक नहीं सकेगा। मिसाल के तौर पर में बताऊं कि जम्मू काश्मीर से पालिमेंट का सदस्य कौन हो इसका निर्णय जम्मू काश्मीर की विधान सभा ने किया है इसकी वहां के कानून में व्यवस्था की गई है। उसके यहां भी रिप्रिजेंटेशन आफ पीपल एक्ट है उसके अधीन जो इलैकशन के लिए खड़ा होता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिये और डिसक्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिये, इसका निर्णय वहां की विधान सभा करेगी और उसने किया भी है। क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन का जहाँ तक सम्बन्ध है उसका जो कानून

है वह भारत के कानून से बिल्कुल भिन्न तो नहीं है लेकिन उससे अलग जरूर है, इन दोनों में अन्तर अवश्य है। जैसे संसद का सदस्य रहने के कारण या विधान सभा का सदस्य रहने के कारण या किसी और पद पर रहने के कारण अगर किसी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो वह इलैक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है, इस प्रकार का वहां के रिप्रिजेंटेशन आफ पीपल एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। पालिमेंट जोकि हिन्दुस्तान की सावरेन बाडी है उसका सदस्य कौन हो सकता है या कौन नहीं हो सकता है, इसका निर्णय करने का अधिकार जम्मू काश्मीर की स्टेट असैम्बली को दिया गया है। मैं समझता हूं कि ऐसा पालिमेंट के अधिकारों पर कुठाराघात करना है। और इसको हम कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से और कोई संतोपजनक समाधान खोजना चाहते हैं तो सारे भारत के कानून को आप जम्मू काश्मीर पर भी लाग कर दें। शैडयुल की जो 72वीं धारा है उसको कनकरेंट लिस्ट से हटा कर केन्द्रीय सरकार ले ले और उसके द्वारा पूर्ण एक्ट को वह वहां पर लागु कर दे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो एक बहुत बड़ी एम्विग्इटी रहेगी और यह कानुन ठहर नहीं सकेगा और इसको रह होना पड़ेगा।

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु॰ यूनस सलीम): दो तीन मिनट में मैं अपनी जवाबी बात खत्म कर दुंगा।

बदिकस्मती से हमारे मुल्क में बाज ऐसे गिरोह और बाज ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जिन की सारी कोशिश इस बात पर सफं हो रही है कि इस मुल्क में पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के इमेज को इस तरह से खराब किया जाए कि लोगों का भरोसा पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसी पर जमा न रहे और इस मक्सद को हासिल करने के लिए प्राबलम्ज पैदा करते हैं हकूमत को मजबूर करते हैं कि उन प्राबलम्ज पर गौर करे और उनकी आवाज पर हमदर्दाना गौर करने के बाद जब कोई वैसा ही करता

[श्री भु० युनस सलीम] है जैसा वे चाहते हैं तो फिर खुद उसी पर एसराज कर देते हैं।

मझे बहुत हैरत हुई जब मैंने कल आनरेबल मेम्बर श्री मधु लिमये की तकरीर को सुना। आप को याद होगा कि गुजिश्ता मर्तवा जब यह बिल पेश किया गया था उसका मकसद यह था कि जो लीगल प्राविजज जम्म काश्मीर रिप्रेजेंटेशन आफ पीपल एक्ट में नाफिज की गई हैं उनको इस हाउस में कानून की हैसियत से एडाप्ट कर लिया जाए तब मधु लिमये जी ने एतराज किया था कि उन सैक्शंज को एडाप्ट करने की जरूरत नहों है बल्कि हमारा जो रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपल एक्ट है उसके मृतसिल सैक्शन जो हैं उनको वहां लागू कर दिया जाए । उनको लागू करने के लिए ला मिनिस्टर ने यह कहा था कि अच्छी बात है, यह मामूली बात है, हम इसको एमेंडमेंट के र्जारिए से प्रोपोज कर देंगे। चुनाचे इस मकसद को हासिल करने के लिए प्रेजीडेंट साहब का आईर हासिल किया गया और इस एमेंडमेंट को पेश किया गया। यानी यह कि यह एमेंडमेंट उन्हीं की तहरीक की बुनियाद पर इस तरह से आया है हाउस के सामने। फिर भी आज उनकी जुरअत होती है कि यहां वह एतराज करें और यह कहें कि यह एमें उमेंट इस गर्ज से लाया गया है कि जम्हरियत को काश्मीर में नाकाम किया जाए और सादिक साहिब की हकुमत को जोकि एक और कानुनी तरीके से वहां पावर में आ गई है उसको नाफिज रखा जाए और उस रियासत में जम्हरियत को तबाह किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वहां जम्हरियत को तबाह किया जा रहा है और सैंटल गवर्नमेंट की तरफ से उसका साथ दिया जा रहा है। ये सब बातें सुन कर मुझे बहुत हैरत हुई है।

## 13 Hrs.

इस बिल का मकसद जैसा मैंने कल अपनी तकरीर में अर्ज किया था, बहुत लिमिटेड है मकसद इतना ही है कि जो तरमीम रिप्रेजेटेशन आफ पीपल एकट में जम्मू काश्मीर लैजिस्लेटिव असैम्बली ने की है उसको एडाप्ट करके सेंट्रल लैजिलेशन के जरिये से सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन को एनलार्ज कर दिया जाए।

दनिया में कोई डेमोक्रेसी उस वक्त तक प्रासपर नहीं हो सकती है, जब तक कि उस की जुडिशरी स्ट्रौंग न हो । यह एक एउमिटिड फेक्ट है कि हमारी हाइएस्ट जुडिशरी, सूप्रीम कोर्ट, पर सारी दुनिया और सारे मुल्क को भरोसा है। इस लिए डेमोक्रेसी के तहफ्फ़ुज़ के लिए, डेमोक्रेसी की जड़ों को मजबूत करने के लिए, काश्मीर के लिए इस इन्तजाम को कुबूल किया है, न कि डेमोकेसी को तबाह करने के लिए। यह बहुत अजीवो गरीब मनतिक है। मुझे बड़ी हैरत हुई, जब मेरे लायक दोस्त, बख्शी गुलाम मुहम्मद, ने कहा कि जो कुछ भी मधु लिमये ने कहा है, वह उस की ताइद करते हैं। मेरे लायक दोस्त यह भूल गए कि यह कानुन उन के जमाने का लाया हुआ है और उन के जमाने में यह कानून था।

SHRI GULAM MOHAMMAD BAKSHI: If he says that, I should be given the chance to rebuff and explain his position.

श्री मु॰ यूनस सलीम: मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये जितनी तकरीरें हुई हैं, उन का ताल्लुक इस बिल से नहीं है, बिल्कि ये बिल्कुल सियासी नोऐयत की तकरीरें हैं और उन में कोई त्रजन नहीं है।

मैं गुज़ारिशें करता हुं कि इस बिल को पास किया जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Bill, as amended, is passed.

The House stands adjourned to meet again at 2 O' Clock.

## 13.02 Hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

DEMANDS FOR GRANTS (RAIL-WAYS) 1968-69 AND DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS) 1967-68

MR. DEPUTY-SPEAKER: As the Speaker has already announced, the time allotted for these Demands has already been exhausted; only the reply remains to be given by the Railway Minister. Yet, I will permit a few minutes to all sections of the House, and I would request the hon. members to be very brief.

MR. K. N. TIWARI: Just one minutes.... (Interruptions) Accident does not concern only Congress or non-Congress; everybody is concerned with it.

श्री क० ना० तिबारी (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, जो रेलवे का ऐक्सीडेंट अभी हुआ है उस के संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट आज सुबह दिया था। ऐसे ऐक्सीडेंट दुनिया में सभी जगह होते हैं इसलिए यह कहना कि इस के लिए रेस्पांसिबल खाली मिनिस्टर हैं और उनको रिजाइन करना चाहिए, यह ठीक नहीं है । एक्सीडेंट एयरोप्लेन में होता है, मोटर कार का होता है, बसेज का होता है। सब जगह ऐक्सीडेंट सारी दुनिया में होता है। सारी दुनिया का यह नियम है। लेकिन सावधानी बरतना भी काम है उस विभाग का जो विभाग इस कौ चलाता है। मैं एक निवेदन करना चाहता हं रेलवे मंत्री महोदय से कि कम से कम जिडिशियल एन्क्वायरी इस मामले में जरूर इन्स्टीट्यूट की जाय जिसमें सब को संतोप .हो । बस, यही मुझे कहना है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (बलरामपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस दर्दनाक दुर्घटना की खबर दी गई है उस से सारे सदन में चिन्ता हुई है। इससे पहले भी रेलों में अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं जिन से यात्रियों के मन में असुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। प्रश्न यह है कि यह ताजी दुर्घटना क्यों हुई ? जो विवरण मन्त्री महोदय ने दिया है उस से पता लगता है कि स्टेशन पर गाड़ियां टकरा गईं। मैंने अभी मंत्री महोदय से पुछा था कि क्या इस के लिए कंट्रोलर जिम्मेदार है तो उन्होंने मझे बताया कि यह स्टेशन कंटोलर द्वारा नियंत्रित नहीं होते । इस का अर्थ यह है कि दो तरह की गलतियां हो सकती हैं। या तो गाड़ी को सिगनल न मिला हो **औ**र डाइवर बिना सिगनल की परवाह किए हए स्टेशन पर आ गया हो जिस से खड़ी हई गाड़ी से उस की टक्कर हो गई हो। दुसरा यह हो सकता है कि जो स्टेशन कर्म-चारी हैं स्टेशन मास्टर या प्वाइंटमैन इन्होंने एक गाडी खडी हई देख कर भी दसरी गाडी को आने का संकेत दे दिया हो। मेरा निवेदन है कि इस मामले की जांच होनी <mark>चाहि</mark>ए, एक अदालती जांच होनी चाहिए । मंत्रालय द्वारा की गई जांच या रेलवे इसपेक्टर द्वारा की गई जांच जनता को संतोष नहीं दे सकती।

एक बात और कि यह दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। मेरा निवेदन है कि दुर्घटनाएं होती नहीं हैं, दुर्घटनाएं की जाती हैं। अगर नियमों का ठीक तरह से पालन किया जाय, अगर कर्मचारी अपने कर्त्तच्य का दक्षता से निर्वाह करें और जिन परिस्थितियों में वह ईमानदारी के साथ काम कर सकते हैं वैसी परिस्थितियां पैदा की जायें तो इस तरह की दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है: प्राकृतिक प्रकोप के कारण होने वाली दुर्घटनायें अलग हैं। मुझे खेद है कि दुर्घटनाएं जब रेल में बढ़ती हैं तो फिर सेफटी इंसपेक्टर की संख्या बढ़ाई जाती है मगर स्टेशनों पर काम करने वाले कर्मचारी किन कठिनाइयों में काम कर रहे हैं इस के बारे में उन से कभी विचार